



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012022-232728  
CG-DL-E-19012022-232728

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]  
No. 17]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 2022/पौष 27, 1943  
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 2022/PAUSHA 27, 1943

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2022

**सा.का.नि. 17(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) नियम, 2021 है।  
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“10क. अध्यक्ष:—केन्द्रीय सरकार द्वारा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति नारियल विकास से संबंधित मामलों में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी;

10ख. मुख्य कार्यकारी अधिकारी:—केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो, सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय संघ राज्य क्षेत्र या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) नियुक्त किया जाएगा।—

(क) नियमित पद धारक जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो;

या



(ख) वेतन मैट्रिक्स स्तर -14 (1,44,200-2,18,200 रुपये) या समकक्ष में एक नियमित पद धारक और जो निम्नानुसार शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखता हो :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी या जीवन विज्ञान में डॉक्टरेट के साथ बागवानी विकास या अनुसंधान या उत्पादन या विस्तार में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव प्राप्त व्यक्ति जिसमें नारियल विकास के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव सम्मिलित है; या

(ii) बागवानी विकास में दस वर्ष के अनुभव सहित प्रबंधकीय अनुभव में कम से कम बीस वर्ष अनुभव के साथ स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें नारियल विकास के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी या जब तक उम्मीदवार साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो. ”;

3. मूल नियमों के नियम 12 में,-

(i) उप-नियम (4) में, दूसरे परंतुक में, "पिछला" शब्द के स्थान पर "पूर्व" शब्द रखा जाएगा;

(ii) उप-नियम (5) में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

4. मूल नियम के नियम 14 में "रु. 1000/-" अक्षर और अंक के स्थान पर "रु 10,000/-" अक्षर और अंक रखा जाएगा;

5. मूल नियमों के नियम 15 के परंतुक में "पिछला" शब्द के स्थान पर "पूर्व" शब्द रखा जाएगा;

6. मूल नियम के नियम 16 में,-

(i) उप-नियम (1) में, "परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56,100-177,500 रुपए) के स्तर से अधिक वेतन स्तर वाला कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा और उसमें नियुक्तियां नहीं की जाएंगी।";

(ii) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"मुख्य कार्यकारी अधिकारी समूह "ग" पदों पर नियुक्ति कर सकते हैं";

7. मूल नियमों में, नियम 18 में, "वेतन, या वेतनमान वाले अधिकारियों के रैंक में सभी रिक्तियां, जिनमें से अधिकतम रु 1200/- प्रति माह" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 (रु. 44,990-142400) तक की सभी रिक्तियों" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

8. मूल नियम के नियम 19 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

9. मूल नियमों के नियम 21 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

10. मूल नियमों के नियम 22 में "पिछला" शब्द के स्थान पर "पूर्व" शब्द रखा जाएगा;

11. मूल नियमों में, अध्याय V के अधीन, "बोर्ड की शक्तियां, अध्यक्ष और सचिव" शीर्षक के स्थान पर, "बोर्ड की शक्तियां, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिव" शीर्षक को रखा जाएगा;

12. मूल नियम के नियम 24 के उपनियम (2) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

13. मूल नियम के नियम 26 में,-

(i) खंड (क) में, "रु20,000/-" अक्षर और अंक के स्थान पर, जहां भी वे आए, "रु 5,00,000/-" अक्षर और अंक रखा जाएगा।

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) प्राकृतिक बचत को पुनः उपयुक्त करने की शक्ति को किसी एक वस्तु के मामले में 10 प्रतिशत से अधिक माना जाएगा; तथा";



14. मूल नियमों में, नियम 27 में, "साधारण वित्तीय नियम, 1963" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "साधारण वित्तीय नियम, 2017" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

15. मूल नियमों में, नियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"28. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य:-

(i) अध्यक्ष बोर्ड का गैर-कार्यकारी प्रमुख होगा;

(ii) अध्यक्ष के पास बैठक के दौरान बोर्ड के सदस्यों को अनुपस्थिति के लिए छुट्टी देने की शक्ति होगी;

(iii) अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और वह ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करेगा जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपी जाएं।

28क. मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां:- (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी के रूप में, बोर्ड के समुचित कार्यकरण, बोर्ड की नीति को लागू करने और अधिनियम में प्रदान किए गए कार्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उपनियम (1) के अधीन कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में,-

(क) बोर्ड राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य अभिकरण संस्थानों और प्राधिकरणों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, काँयर बोर्ड, नारियल उगाने वाले राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों, केरल राज्य नारियल विकास निगम और नारियल उद्योग से संबंधित अन्य संस्थानों और संगठनों के साथ निकट संपर्क में काम करता है और प्रयासों के दोहराव से बचता है;

(ख) छोटे किसानों और उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए उचित उपाय किए जाते हैं जिससे वे नारियल उद्योग के विकास और विकास में भागीदार और लाभार्थी बन सकें।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास शक्ति होगी, -

(i) बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी देने के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन इस शक्ति को बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकता है जो वह ठीक समझे।

(ii) मुख्य नारियल विकास अधिकारी और सचिव सहित बोर्ड के सभी विभागों और अधिकारियों और अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना।

(iii) इन नियमों के अधिनियम के अधीन दस्तावेजों और अभिलेखों की मांग करना और निरीक्षण करना या निरीक्षण करने के कारण, खातों और भंडारण के स्थानों या व्यवसाय के लिए, जैसा भी आवश्यक हो, या बोर्ड के किसी भी कार्य को ठीक से करने के लिए आवश्यक समझा जाए।

(iv) बोर्ड के कार्यालय के रखरखाव और कामकाज के लिए आवश्यक वस्तुओं की आकस्मिकताओं, आपूर्ति और सेवाओं और खरीद के लिए नियम 26 के उपबंधों के अधीन व्यय को मंजूरी देना, और

(v) अधिनियम की धारा 10 के अधीन किए गए उपबंधों के अनुसार अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप उपाय करना।

(vi) बोर्ड या उसकी किसी समिति से बोर्ड या समिति द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के अनुसरण में कार्रवाई को स्थगित करने की अपेक्षा करना, जैसा भी मामला हो, इस तरह के निर्णय पर केन्द्रीय सरकार को एक संदर्भ लंबित है।

(vii) बोर्ड के कार्यालय के कामकाज के लिए अपेक्षित आकस्मिकताओं, आपूर्ति और सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए व्यय की मंजूरी के लिए;

(viii) अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी धन के लिए बोर्ड की ओर से रसीदें जारी करना;

(ix) सभी महत्वपूर्ण कागजात और मामलों को बोर्ड को यथाशीघ्र बैठक के लिए प्रस्तुत करना;

(x) बोर्ड के विनिश्चय को क्रियान्वित करने के पद्धति के बारे में निर्देश जारी करना;

28ख. प्रत्यायोजित करने की शक्ति:- मुख्य कार्यकारी अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा तथा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, इन नियम के अधीन बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को अपनी शक्ति प्रदत्त कर सकता है।



28ग. विनिश्चय लेने की शक्ति:- जहां किसी मामले को बोर्ड या उसकी समिति द्वारा निपटाया जाना है और उस मामले के संबंध में विनिश्चय तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि बोर्ड या समिति की बैठक, जैसा भी मामला हो, आयोजित नहीं किया जा सकता है या बोर्ड या समिति के सदस्यों के बीच सुसंगत कागजात के संचलन के पूरा होने तक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वयं आवश्यक विनिश्चय ले सकता है:

परन्तु, वह बोर्ड या समिति द्वारा अनुसमर्थन के लिए ऐसा विनिश्चय, जैसा भी मामला हो, अपनी अगली बैठक में प्रस्तुत करेगा:

परन्तु, यह और कि यदि बोर्ड या समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा लिए गए विनिश्चय को उपांतरित या निष्प्रभावित करती है, तो ऐसा उपांतरण या निष्प्रभावन करने से पहले की गई किसी भी कार्रवाई की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

28घ. मुख्य कार्यकारी अधिकारी को स्वयं या उसकी ओर से अधिकृत बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने या किसी रजिस्ट्री संपदा या अनुज्ञप्ति प्राप्त इलाज प्रतिष्ठान या किसी ऐसे स्थान का निरीक्षण करने के लिए अभिकर्ता नियुक्त करने की शक्ति होगी जहां नारियल का भंडारण किया जाता है या बिक्री के लिए उजागर किया जाता है और किसी स्थान सम्पदा या प्रतिष्ठान या स्थान की पुस्तकों का परीक्षण करना, -

(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने आधिकारिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में कार्य की विशेष मद पर मेधावी कार्य के लिए मानदेय स्वीकृत करने की शक्ति होगी।

(ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड के कार्यों को करने के उद्देश्य से बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य सौंप सकता है।

28ङ. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कर्तव्य:- (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड के कार्यकरण पर मसौदा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद इसे केंद्रीय सरकार को उस तिथि के अंदर, जो की केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गयी है, प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड की सभी बैठकों में भाग लेगा और बोर्ड के निर्णयों को लागू करने में अध्यक्ष की सहायता करेगा;

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड की बैठक की कार्यवाही और उन बैठकों के निर्णयों का उचित रिकॉर्ड रखेगा; तथा

(4) ऐसे अन्य कर्तव्य, जो भी हों, केंद्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं।

28च. अन्य शक्तियाँ:- नियम 28, 28क, 28ख, 28ग, 28घ और 28ङ में निर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो अधिनियम के उपबंध केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें सौंपे गए नियमों के अनुसार दी जा सकती हैं:

परन्तु जहां किसी मामले को बोर्ड या एक समिति द्वारा निपटाया जाना है और विनिश्चय बोर्ड की बैठक तक या उपयुक्त समितियों, जैसा भी मामला हो, या कागजात के प्रचालन के पूरा होने तक इंतजार नहीं कर सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वयं विनिश्चय कर सकता है और इस प्रकार लिए गए विनिश्चय को बोर्ड या समिति के समक्ष, जैसा भी मामला हो, कर सकता है।

16. मूल नियम के नियम 30 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

17. मूल नियमों में, नियम 31 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

18. मूल नियमों में, नियम 34 में, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

19. मूल नियमों के नियम 35 में, - (i) "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "उद्योग" शब्द के स्थान पर "सेक्टर" शब्द रखा जाएगा;

[फ्रा. सं. 4-4/2019-एमआईडीएच (सीडीबी)/83026(ई)]

राजबीर सिंह पंवार, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या सा. का. नि. 34 (अ) तारीख 28 जनवरी, 1981 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार का.आ. 136 तारीख 31 दिसंबर, 2010 को संशोधन किया गया था।



**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th January, 2022

**G.S.R. 17(E).**—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coconut Development Board Rules 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Coconut Development Board (Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Coconut Development Board Rules, 1981 (hereinafter referred to as the principal rules, for rule 10, the following rules shall be substituted, namely:-

“10A. Chairman:- Non-Executive Chairman shall be appointed by the Central Government from the amongst persons who have adequate knowledge and experience in the matters relating to Coconut Development;

10B. Chief Executive Officer:- The Chief Executive Officer of the Board, not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, shall be appointed by the Central Government on deputation basis (including short-term contract) from amongst officers of the Central Government or State Governments or Union territories or recognised research Institutions or Agriculture Universities or Public Sector Undertakings –

(a) holding regular post not below the rank of Joint Secretary to the Government of India;

Or

(b) holding a regular post in the level-14 (Rs.1,44,200-Rs.2,18,200) in the pay matrix or equivalent and possessing educational qualifications and experience as under:

(i) Doctorate in Horticulture or Life Sciences from a recognised University with at least fifteen years' experience in horticulture development or research or production or extension including five years' experience in the field of coconut development; or

(ii) Master's degree in Management with at least twenty years managerial experience including ten years in horticulture development of which five years' experience should be in the field of coconut development.

Note : The period of deputation shall ordinarily not exceed five years or till the candidate attains the age of sixty years, whichever is earlier.”;

3. In the principal rules, in rule 12,-
  - (i) in sub-rule (4), in the second proviso, for the word “previous” the word “prior” shall be substituted;
  - (ii) in sub-rule (5), for the word “Chairman” the words “Chief Executive Officer” shall be substituted;
4. In the principal rules, in rule 14, for the letters and figure “Rs. 1000/-” the letters and figure “Rs. 10,000/-” shall be substituted;
5. In the principal rules, in rule 15, in the proviso, for the word “previous” the word “prior” shall be substituted;
6. In the principal rules, in rule 16,-
  - (i) in sub-rule (1), “for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-  
“Provided that no post carrying pay level higher than level-10 (Rs.56,100-177,500) in the pay matrix shall be created and appointments made thereto without the prior sanction of the Central Government.”;
  - (ii) for sub-rule(2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-  
“the Chief Executive Officer may make appointments to Group “C” posts”;



7. In the principal rules, in rule 18, for the words, letters and figures “All vacancies in the rank of officers carrying a pay, or a scale of pay, the maximum of which is above Rs. 1200/- per mensem” the words and figures “All vacancies upto the level-7 (Rs. 44,990-142400) in the pay matrix” shall be substituted;
8. In the principal rules, in rule 19, for the word “Chairman”, the words “Chief Executive Officer” shall be substituted;
9. In the principal rules, in rule 21, for the word “Chairman”, the words “Chief Executive Officer” shall be substituted;
10. In the principal rules, in rule 22, for the word “previous”, the word “prior” shall be substituted;
11. In the principal rules, under the Chapter V, for the heading “Powers of the Board, the Chairman and the Secretary”, the heading “Powers of the Board, the Chairman, the Chief Executive Officer and the Secretary” shall be substituted;
12. In the principal rules, in rule 24, in sub-rule (2), for the word “Chairman”, the words “Chief Executive Officer” shall be substituted;
13. In the principal rules, in rule 26,-
  - (i) in clause (a), for the letter and figures “₹20,000/-“ wherever they occurred, the letters and figures “Rs. 5,00,000/-“ shall be substituted.
  - (ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-
 

“(c) the power to re-appropriate estimated savings shall be considered in excess of 10 per cent.in the case of any single item; and”;
14. In the principal rules, in rule 27, for the words and figures “The General Financial Rules, 1963”, the words and figures “The General Financial Rules, 2017”, shall be substituted.
15. In the principal rules, for rule 28, the following rules shall be substituted, namely:-
 

“28. Powers and duties of Chairman:-

  - (i) the Chairman shall be the non-executive head of the Board;
  - (ii) the Chairman shall have power to grant leave of absence to the members of the Board during meeting;
  - (iii) the Chairman shall preside over the meetings of the Board and he shall also exercise such other powers as may be assigned to him by the Central Government.

28A. Powers of Chief Executive Officer:- (1) The Chief Executive Officer shall, as the Chief Executive of the Board, be responsible for the proper functioning of the Board, implementing policy of the Board and to discharge the functions as provided in the Act.

(2) It shall be the responsibility of the Chief Executive Officer to ensure that in carrying out the functions and duties under sub-rule (1),-

  - (a) the Board works in close liaison with the State Governments, Union territories and other Agencies institutions and authorities such as the Indian Council of Agricultural Research, Directorate of Marketing and Inspection, Coir Board, the Agricultural Universities in the coconut growing States, the Kerala State Coconut Development Corporation and other institutions and organizations concerned with the coconut industry and avoids duplication of efforts.;
  - (b) appropriate measures are taken to protect the interests of small farmers and producers so that they may become participants in and beneficiaries of the development and growth of coconut industry.

(3) The Chief Executive Officer shall have the power,-

  - (i) to grant leave to all officers and employees of the Board and may delegate this power to any other officer of the Board subject to such conditions as he thinks fit.



(ii) to exercise administrative control over all departments and officers and officials of the Board including the Chief Coconut Development Officer and the Secretary.

(iii) to call for documents and records and to inspect or cause to be inspected, accounts and places of storage or of business as required under the Act of these rules or as may be considered necessary for discharging properly any of the functions of the Board.

(iv) to sanction expenditure, subject to the provisions of rule 26, for contingencies, supplies and services and purchase of articles required for the maintenance and working of the office of the Board, and

(v) to carry out the measures in consonance of the objects of the Act, as provided for under section 10 of the Act.

(vi) to require the Board or any committee thereof to defer taking action in pursuance of any decision taken by the Board or the committee, as the case may be, pending a reference to the Central Government on such decision.

(vii) to sanction expenditure for contingencies, supplies and services and purchase of articles required for the working of the office of the Board;

(viii) to issue receipts on behalf of the Board for all money received under the Act;

(ix) to cause all important papers and matters to the meeting to the Board as early as practicable;

(x) to issue direction as to the method of carrying out the decision of the Board;

28B. Power to delegate:- The Chief Executive Officer may by general or special order and in consultation with the Central Government, delegate his power under these rules to any other officer of the Board.

28C. Power to take decision:- Where a matter has to be disposed of by the Board or a committee thereof and decision in respect of that matter cannot be taken till a meeting of the Board or the committee, as the case may be, is held or till completion of circulation of the relevant papers among the members of the Board or the committee, the Chief Executive Officer may take required decision himself:

Provided that, he shall submit such decision for ratification by the Board or the committee, as the case may be, at its next meeting:

Provided further that, if the Board or the committee modifies or annuls the decision taken by the Chief Executive Officer, such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any action taken before such modification or cancellation.

28D. The Chief Executive Officer shall have power to inspect by himself or by any officer of the Board authorised by him in his behalf or appoint agents for the purpose of inspecting any registered estate or licensed curing establishment or any place where coconut is stored or exposed for sale and to examine the books of any place estate or establishment or place:-

(i) The Chief Executive Officer shall have power to sanction honorarium for meritorious work on special item of work forming a part of one's official duties in accordance with the rules on instructions made by the Central Government in this behalf.

(ii) The Chief Executive Officer may, for the purpose of carrying out the functions of the Board assign duties to the officers and employees of the Board.

28 E. Duties of Chief Executive Officer:- (1) The Chief Executive Officer shall be responsible for preparation of draft annual report on the working of the Board and its submission to the Central Government after approval by the Board on a date not later than the date specified in this behalf by the Central Government;

(2) The Chief Executive Officer shall attend all the meeting of the Board and assist to the Chairman in implementing the decisions of the Board;

(3) The Chief Executive Officer shall maintain a proper record of the proceedings of the meeting of the Board and decisions of those meetings; and

(4) Such other duties, as may be, assigned to him by the Central Government.



28 F. Other Powers:- In addition to the powers referred to in rules 28, 28A, 28B, 28C, 28D and 28E, the Chief Executive Officer shall exercise such other powers as may be delegated to him by the Central Government in accordance with provisions of the Act:

Provided that where a matter has to be disposed of by the Board or a Committee and the decision cannot wait till a meeting of the Board, or the appropriate committees, as the case may be, is held or till completion of circulation of papers the Chief Executive Officer may take a decision himself and after taking decision so taken before the Board or the Committee, as the case may be”

16. In the principal rules, in rule 30, for the word “Chairman”, the words “Chief Executive Officer” shall be substituted;
17. In the principal rules, in rule 31, for the word “Chairman”, the words “Chief Executive Officer” shall be substituted;
18. In the principal rules, in rule 34, for the word “Chairman”, the words “Chief Executive Officer” shall be substituted;
19. In the principal rules, in rule 35,- (i) for the word “Chairman”, the words “Chief Executive Officer” shall be substituted;  
(ii) for the word “Industry”, the word “Sector” shall be substituted;

[F. No. 4-4/2019-MIDH(CDB)/83026(E)]

RAJBIR SINGH PANWAR, Jt. Secy.

**Note :** The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number G. S. R. 34 (E) dated the 28<sup>th</sup> January, 1981 and was last amended vide S.O. 136 dated 31<sup>st</sup> December, 2010.